

फर्द अहकाम  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्य नोहर जिला हनुमानगढ

सुरेश कुमार



बनाम

काशीराम

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 36

सन-2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिगियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का लागूत व जारी हुए
28.03.2019	<p>प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मागला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही गौजा दुर्जाना के खाता संख्या 23/19 के खसरा न0 55/1 की 2.0380 हैक्ट भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वारते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.05.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर एवं                      उपखण्ड अधिकारी                      नोहर                 </p> <p>                     14.5.19 पत्रावली पेश हुई थी। उक्त आदेश अन्तर्गत मागला रिकार्ड में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही गौजा दुर्जाना के खाता संख्या 23/19 के खसरा न0 55/1 की 2.0380 हैक्ट भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वारते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.05.2019 को पेश हो।                      27.6.19                 </p> <p>                     27.6.19 पत्रावली पेश हुई थी। उक्त आदेश अन्तर्गत मागला रिकार्ड में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही गौजा दुर्जाना के खाता संख्या 23/19 के खसरा न0 55/1 की 2.0380 हैक्ट भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वारते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.05.2019 को पेश हो।                      17.9.19                 </p>	<p style="text-align: right;">  </p>

17/19

~~वकील सायल के प्रथम पत्र पर समावृत्ति के मी की प्रकृति वकील सायल के निवेदन विषय की एक संश्लेषण का राजीनामा ही जमा की इलाकके प्रायविषय चलाना नहीं चाहता शर्तिका विगा जख /~~

~~सायल के प्रथम पत्र नहीं चलाने के कारण प्रथम पत्र रपारिक विषय जारा ही समावृत्ति तखिले चढर है। सुदेशे वरर इंजपपु सुगम जका~~

कुशा उमा  
पल्लव 732  
मे 99  
12/11/19

ग्रुप सप्ले विकारी (राज्य)  
जोहर (मुमुसाजिद)  
जोहर (मुमुसाजिद)